न्यायालय संभागीय आयुक्त, अजमेर

(निर्णय बईजलास डॉ0 वीना प्रधान, आई.ए.एस संभागीय आयुक्त, अजमेर)

अपील एल.आर. संख्या 118/2021/(2021/118) जिला–नागौर

1. लक्ष्मण सिंह पुत्र उम्मेद सिंह निवासी आसोटापुरा तहसील लाडनूं, जिला नागौर
2. रविन्द्र सिंह राठौड़ पुत्र मूल सिंह राठौड़
3. करण सिंह राठौड़ पुत्र किशोर सिंह राठौड़

जाति राजपूत निवासी राजपूतो का मौहल्ला आसोटापुरा तहसील लाडनूं जिला नागौर ।

–––अपीलार्थीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लाडनूं जिला नागौर।
2. अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका मण्डल लाडनूं जिला नागौर।

–––––प्रत्यर्थीगण

———

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956,
विरूद्ध निर्णय जिला कलक्टर नागौर क्रमांक एफ.12( )/राजस्व/2019/2128
दिनांक 12.07.2019 के क्रम में

———

उपस्थित– 1. श्री घनश्याम सिंह लखावत अभिभाषक अपीलार्थीगण
2. श्री आकाश पारीक,राजकीय अधिवक्ता –प्रत्यर्थी सं01
3. श्री मदनलाल गुर्जर, अधिवक्ता –प्रत्यर्थी सं0 2

निर्णय

दिनांकः– 24-11-2021

अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि अपीलार्थीगण जो ग्राम आसोटा के निवासी है तथा ग्राम आसोटा में खसरा सं0 31 की भूमि गैर मुमकिन गोचर भूमि है जो चराई हेतु प्रयुक्त की जाती है तथा इस 11.0105 हैक्टेयर भूमि के अलावा अन्य भूमि नहीं है तथा नगर पालिका लाडनू को सिवरेज ट्रिट्मेन्ट

Scanned with CamScanner

प्लान हेतु भूमि की आवश्यकता होने पर नगर पालिका द्वारा माधव बी.एड. कालेज के पास खसरा संख्या 20 में से 10 बीघा भूमि नगर पालिका को आवेदित किए जाने पर आंवटन कार्यवाही लम्बित रही तथा अकारण ही इस खसरा नम्बर में परिवर्तन कर ग्राम आसोटा के ग्राम पंचायत के प्रतिनिधियों से मिलीभगत कर ग्राम आसोटा की खसरा सं0 31 रकबा 11.0105 हैक्टेयर किस्म गै.मु.गौचर भूमि में से 1 हैक्टयर भूमि जिला कलक्टर नागौर के आदेश दिनांक 12.7.2019 से आवंटित किए जाने की कार्यवाही किए जाने की जानकारी होने पर उक्त आदेश से असंतुष्ट एवं व्यथित होकर होकर अपीलार्थीगण द्वारा यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

अपील Subject-to-limitation दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थीगण को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किये गये तथा संबंधित अभिलेख मंगवाया गया। प्रत्यर्थी सं01 राजकीय अधिवक्ता की ओर से अपील जवाब प्रस्तुत किया जो शामिल मिसल किया गया। प्रत्यथी सं0 2 की ओर से प्रार्थना पत्र प्राथमिक आपत्ति प्रस्तुत किया गया जो शामिल मिसल किया गया। दोनो पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

अभिभाषक अपीलार्थी द्वारा मियाद अधिनियम की धारा–5 पर अपीलार्थी की ओर से पक्ष रखते हुए अपने प्रार्थना पत्र में अंकित कथनो को दोहराते हुये निवेदन किया गया कि ग्रामवासियों को निर्णय दिनांक 12.07.2019 की जानकारी नहीं थी विगत दिनो दिनांक 30.05.2021 को कुछ व्यक्ति आकर उक्त जमीन पर नाप चौक कर रहे थे तब जानकारी हुई कि उक्त भूमि नगरपालिका को आंवटित कर दी गई है, तत्पश्चात् ग्राम पंचायत से जानकारी लेने हेतु निवेदन किया किन्तु ग्राम पंचायत के प्रतिनिधि टालमटोल करते रहे। जिसके पश्चात् नकले इत्यादि प्राप्त कर व लगतार कोरोना महामारी से न्यायालय बन्द होने से अजमेर आकर अपील प्रस्तुत नहीं की जा सकी। सामन्य स्थिति होने पर अविलम्ब अजमेर आकर अभिभाषक से सम्पर्क कर अपील तैयार कर न्यायालय के समक्ष अन्दर मयाद अपील प्रस्तुत की गई जिसके कारण प्रार्थी द्वारा धारा–5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। अतः अपील प्रस्तुत करने में हुआ विलम्ब सद्भाविक कारणों के रहते हुआ है, इस कारण देरी को क्षमा किया जाकर प्रस्तुत अपील को अन्दर मियाद शुमार किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

प्रत्यर्थी सं0 1 की ओर से राजकीय अधिवक्ता एवं प्रत्यर्थी सं0 2 की ओर उनके अधिवक्ता द्वारा अपीलार्थी अधिवक्ता की मियाद के बिन्दु पर बहस का जवाब देते हुए निवेदन किया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत मियाद अधिनियम की धारा–5 का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं होने से खारिज किया जावे। अपीलार्थी द्वारा उक्त अपील काफी विलम्ब से बिना किसी ठोस व सक्षम आधार के प्रस्तुत की गई है, इस कारण से उपरोक्त अपील उक्त प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–5 मियाद अधिनियम के स्तर पर ही खारिज किये जाने योग्य है। अतः प्रत्यर्थी की ओर से प्रस्तुत जवाब प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर अपीलार्थी द्वारा

Scanned with CamScanner

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के साथ ही मूल अपील को वर्तमान स्तर पर ही सव्यय खारिज किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

हमने विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी के मियाद के बिन्दु पर दिये गये तर्कों तथा प्रत्यर्थीगण अभिभाषक के जवाब पर गौर किया एवं इसी संबंध में कोरोना महामारी के अन्दर प्रदान की गई छूट एवं माननीय उच्च न्यायालय एवं राजस्व मण्डल द्वारा समय–समय पर प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुसार प्रकरण की मेरिट पर विचार करना कानून एवं विधि की मांग होने से अभिभाषक अपीलार्थी द्वारा बहस के दौरान मियाद अधिनियम की धारा–5 के तहत प्रस्तुत वास्तविक स्थिति के मध्येनजर प्रकरण प्रस्तुत करने में हुई देरी को क्षमा किया जाता है।

अपीलार्थीगण के विद्वान अभिभाषक ने बहस के दौरान मुख्य–मुख्य तर्क दिये कि जिलाधीश नागौर द्वारा पारित आदेश न्याय, नियम एवं रेकार्ड के विपरीत है। नगर पालिका लाड़नूं के सिवरेज ट्रिट्मेन्ट प्लान हेतु उपयुक्त एवं सही स्थल पूर्व में जो भूमि स्वयं नगर पालिका द्वारा चाही गई थी, वह भूमि खसरा संख्या 20 जो माधव बी. एड, कॉलेज के पास थी, परन्तु बिना किसी आधार के इस बाबत किए गए प्रस्ताव को आगे नही बढा कर प्रस्ताव में परिवर्तन कर ग्राम आसोटा की भूमि बाबत प्रस्ताव पारित किया गया है वह पूर्णतया अवैध है। ग्राम आसोटा की गोचर भूमि बाबत ग्राम वासियों को मुगालते में रखकर ग्राम पंचायत के निर्वाचित पदाधिकारियों द्वारा अन्य लोगो से साठ गांठ कर बिना विधिपूर्ण प्रंकिया अपनाये, बिना विधि सम्मत प्रस्ताव लिए, बिना क्षतिपूर्ति की भूमि का ध्यान रखे, की गई कार्यवाही तथा इसके अनुसरण में ग्राम आसोटा की भूमि का किया गया आवंटन आदेश दिनांक 12.7.2019 पूर्णतया अवैध होने से अपील के माध्यम से निरस्त किए जाने योग्य है।

अपीलार्थीगण अभिभाषक ने अपनी बहस में यह भी कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर नागौर ने आदेश दिनांक 12.7.2019 पारित करते हुए राजस्थान टिनेन्सी (सरकारी) नियम 1955 के नियम 6(अ) 7 के प्रावधानों के विपरीत जाकर अपीलाधीन निर्णय पारित कर गंभीर विधिक भूल की है जो निरस्त किये जाने योग्य है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 5 (28) में चरागाह की जो परिभाषा दी गई तथा चरागाह हेतु जो भूमि सुरक्षित रखी जाती है इस बाबत बनाये गये नियमो की पालना नही की गई, ग्राम आसोटा में चरागाह की भूमि को कम कर दिया गया तथा अन्य भूमि नही दी गई, इसके अलावा जब स्वयं नगर पालिका ने भूमि ही जो उपयुक्त थी वो अन्य स्थल पर चाही थी इसके उपरांत भी अत्यन्त ही पोषीता तौर पर कार्यवाही कर ग्राम आसोटा की चरागाह भूमि बाबत जो आदेश दिनांक 12.07.2019 को पारित किया गया है वह अवैध होने से अपील के माध्यम से निरस्त किए जाने योग्य है। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिपाद्वित सिद्धांत जिसमें ग्रामिण क्षैत्रो में नदी, नाला, गोचर, अंगोर आदि प्रकार की भूमि को अन्य किसी कार्य हेतु दिये जाने के स्पष्ट मनाई की गई तथा यह भी निर्देशित किया गया कि अत्यधिक आवश्यकता

Scanned with CamScanner

के बिन्दू को परिक्षित कर तत्पश्चात ही अन्य सार्वजनिक उपयोग में भूमि को दिया जा सकता है परन्तु वर्तमान प्रकरण में ग्राम आसोटा की भूमि को अकारण ही लिया गया, जबकि नगर पालिका के सिवरेज टिट्रमेन्ट प्लांट हेतु अन्य भूमि उपलब्ध थी, इस हेतु प्रस्ताव भी स्वयं नगर पालिका ने बना कर तहसीलदार को प्रेषित किया था, इस प्रकार बिना किसी विधिपूर्ण आधार के प्रस्ताव में परिवर्तन कर ग्राम आसोटा की भूमि बाबत किया गया आंवटन आदेश दिनांक 12.07.2019 पूर्णतया मनमाना है तथा समस्त ग्रामवासियों की जानकारी के बिना ग्राम सभा आयोजित कर बिना सरपंच द्वारा गुपचुप तरीके से प्रस्ताव पारित कर जो कार्यवाही की गई है तथा इसके अनुसरण में जिला कलक्टर नागौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 12.07.2019 निरस्त किये जाने योग्य है। अन्त में अपीलार्थीगण अभिभाषक ने निवेदन किया है कि अपील स्वीकार की जाकर जिला कलक्टर नागौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 12.07.2019 को निरस्त फरमाया जाने के आदेश प्रदान करावे।

अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक की उक्त बहस के जवाब में प्रत्यर्थी सं0 1 के विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने कथन किया कि जिला कलक्टर नागौर द्वारा आदेश क्रमांक एफ.12( )/राजस्व/2019/2128 दिनांक 12.07.2019 के द्वारा कस्बा लाड़नूं के समीपवर्ती ग्राम आसोटा के खसरा सं0 31 रकबा 11.0105 हैक्टेयर किस्म गै.मु.गौचर भूमि में से 1 हैक्टयर भूमि राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम की धारा 92 के तहत परियोजना के अन्तर्गत सीवरेज ट्रीटमेन्ट प्लॉट के लिये नगर पालिका लाडनूं के पक्ष में आरक्षित की गई है। उक्त आरक्षण नगर पालिका लाडनूं द्वारा प्रस्तुत मांग पत्र के आधार पर किया गया है। ग्राम पंचायत आसोटा पं0 सं0 लाड़नूं द्वारा ग्राम पंचायत की बैठक में नगर पालिका लाडनूं को सीवरेज ट्रीटमेन्ट प्लॉट की स्थापना करने हेतु भूमि आंवटन/आरक्षित किये जाने का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित करने एवं अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने के पश्चात् भूमि आरक्षित की गई है। भूमि आंवटन/आरक्षण करने के उपरान्त ग्राम में कुल 12.2109 हैक्टेयर गौचर भूमि वर्तमान राजस्व रेकार्ड अनुसार उपलब्ध है जो पशुओ के लिये पर्याप्त है। अतः अपीलार्थी की अपील सारहीन होने से खारिज की जावे।

नगर पालिका मण्डल लाडनूं की ओर से विद्वान अभिभाषक ने प्राथमिक आपत्ति प्रस्तुत कर निवेदन किया कि जिला कलक्टर नागौर के आदेश दिनांक 12.07.2019 के विरूद्ध उक्त अपील मे लिप्त विवादित आराजी खसरा नं0 31 किस्म गैर मुमकिन गोचर रकबा 11.0105 हैक्टर मे से 1.00 हैक्टर भूमि सीवरेज परियोजना के लिये सीवरेज ट्रीटमेन्ट प्लाट के लिये नगर पालिका मण्डल लाडनू को धारा 92 के अन्तर्गत आरक्षित करते हुए ग्राम पंचायत आसोटा की अनापत्ति लेकर नगरपालिका लाडनू को दिनाक 12.7.2019 को आरक्षित की गयी है जिसमे ग्राम पंचायत के अनापत्ति के आधार पर नगर पालिका सीवरेज प्लॉट का काम मैसर्स एल एण्ड टी. कम्पनी को दिया गया था। उसमे कम्पनी द्वारा कार्य शुरू कर दिया गया जिसके बाद ग्राम आसोटा के अन्य व्यक्ति द्वारा इस आदेश के

Scanned with CamScanner

विरूद्ध जो अपील पेश की गयी है वह पीडित पक्षकार नहीं होकर एक अजनबी व्यक्ति द्वारा न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत कर स्थगन आदेश प्राप्त कर लिये जाने के कारण मौके पर चल रहे सीवरेज ट्रीटमेन्ट के कार्य को बंद करवा दिया गया है। अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर नागौर के आवंटन आदेश दिनांक 12.7.2019 के विरूद्ध जो अपील पेश की गयी है उसमे अपीलार्थीगण न तो पीडित पक्षकार है एवं एग्रीवड परसन है इसलिये उक्त आदेश के विरूद्ध अपीलार्थीगण के द्वारा अपील बिना स्वीकृति धारा 96 जाब्ता दीवानी के प्रार्थना पत्र के प्रस्तुत की गयी है तथा उक्त अपील मे स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया है जब कि उक्त अपील मे बिना धारा 96 जाब्ता दीवानी के तहत स्वीकति के पेश नही की जा सकती है। अपीलार्थीगण को यह साबित करना पडेगा कि वह किस प्रकार व्यथित पक्षकार है इसलिये उक्त अपील मे माननीय न्यायालय के द्वारा बिना स्वीकृति के ही स्थगन आदेश जारी कर दिया जो कानूनी प्रावधानों के विपरीत है इसके बावजूद भी माननीय न्यायालय द्वारा बिना प्रार्थना पत्र धारा 96 स्वीकृति आवेदन पत्र के अपील को दर्ज कर स्थगन आदेश जारी कर प्रत्यर्थी सं0 2 नगरपालिका लाडनू व सार्वजनिक हित मे जो सीवरेज का कार्य चल रहा था उक्त अपील मे जिला कलक्टर द्वारा आवंटन की गयी भूमि 1.00 हैक्टर जो सार्वजनिक हित के लिये दी गयी थी और उक्त अपीलार्थीगण की खातेदारी की भूमि नही है और पीडित पक्षकार है तो वह ग्राम पंचायत आसोटा हो सकती थी किन्तु ग्राम पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी करने के बाद न तो ग्राम पंचायत व्यथित पक्षकार है और ना ही अपीलार्थीगण व्यथित पक्षकार है। इस कारण माननीय न्यायालय के द्वारा बिना धारा 96 जाब्ता दीवानी के बिना स्वीकृति के उक्त अपील को दर्ज नही की जानी चाहिए किन्तु माननीय न्यायालय के द्वारा उक्त अपील को दर्ज कर स्थगन आदेश प्रदान करने में भूल की है जो कानूनी प्रावधानो के विपरीत होने से अपील खारीज योग्य है। अपीलाधीन आदेश के विरूद्ध ग्राम पंचायत आसोटा द्वारा कोई अपील पेश नहीं की गयी और ग्राम पंचायत आसोटा द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र के आधार पर ही नगरपालिका लाडनू द्वारा सार्वजनिक हित मे सीवरेज ट्रीटमेन्ट निर्माण कार्य चालू है। स्थगन आदेश की आड़ मे नगर पालिका को आवंटनशुदा भूमि पर मैसर्स एल एण्ड टी कम्पनी द्वारा सीवरेज कार्य करवाया जा रहा है वह बंद हो गया है। ऐसी स्थिति मे यदि उक्त स्थगन आदेश की आड मे सीवरेज कार्य बंद हो गया तो राज्य सरकार द्वारा जारी पैसा लैप्स हो जायेगा इस कारण माननीय न्यायालय के द्वारा उक्त अपील मे जारी स्थगन आदेश को अपास्त किया जाकर अपील को धारा 96 जाब्ता दीवानी के तहत बिना स्वीकृति के पेश की गयी है जिससे प्रस्तुत अपील को इसी स्तर पर खारीज फरमाई जावे। अपने कथनो के समर्थन में इनके द्वारा निम्न न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये :–

1- RBJ (5) 1998 Page 215 to 217
2- RBJ (23) 2016 Page 318 to 323
3- RBJ (23) 2016 Page 378 to 383
4- RBJ (23) 2016 Page 547 to 553
5- RBJ (13) 2006 Page 442 to 452

Scanned with CamScanner

मैंने दोनों पक्षों के विद्वान अभिभाषकगण की सुनी बहस पर गम्भीरतापूर्वक मनन किया तथा अपील मीमो व पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड व संबंधित अभिलेख का अवलोकन व अध्ययन किया। जिला कलक्टर नागौर के आदेश क्रमांक एफ.12 ( )/राजस्व/2019/2128 दिनांक 12.07.2019 के द्वारा कस्बा लाड़नूं के समीपवर्ती ग्राम आसोटा के खसरा सं0 31 रकबा 11.0105 हैक्टेयर किस्म गै.मु. गौचर भूमि में से 1 हैक्टयर भूमि राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम की धारा 92 के तहत परियोजना के अन्तर्गत सीवरेज ट्रीटमेन्ट प्लॉट के लिये नगर पालिका लाडनूं के पक्ष में भूमि आरक्षित की गई है। उक्त आरक्षण नगर पालिका लाडनूं द्वारा प्रस्तुत मांग पत्र के आधार पर किया गया है। ग्राम पंचायत आसोटा पं0 सं0 लाड़नूं द्वारा ग्राम पंचायत की बैठक में नगर पालिका लाडनूं को सीवरेज ट्रीटमेन्ट प्लॉट की स्थापना करने हेतु भूमि आंवटन/आरक्षित किये जाने का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित करने एवं अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने के पश्चात् भूमि आरक्षित की गई है। चूकि प्रकरण में वादग्रस्त आराजी अपीलार्थीगण की खातेदारी की भूमि नही है और न ही वे पीडित पक्षकार है तो वह ग्राम पंचायत आसोटा हो सकती थी जिनके द्वारा अपीलाधीन आदेश में लिप्त भूमि बाबत अनापत्ति प्रदान की गई है। तहसीलदार की ओर से प्रस्तुत जवाब में भूमि उक्त आंवटन/आरक्षण कार्य के उपरान्त ग्राम में यद्यपि कुल 12.2109 हैक्टेयर गौचर भूमि वर्तमान राजस्व रेकार्ड अनुसार उपलब्ध है जो पशुओ के लिये पर्याप्त बताया गया है किन्तु अपीलाधीन आदेश में आरक्षित की गई चरागाह भूमि के अनुपात में चरागाह भूमि की क्षतिपूर्ति हेतु आदेश जारी नहीं किये गये है। अतः ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश की क्रियान्विति को तब ही प्रभावी माना जावेगा जब ग्राम आसोटा की विद्यमान चरागाह भूमि के समीप लगती हुई राजकीय/सिवायचक भूमि को आरक्षित की गई भूमि के बराबर चरागाह क्षतिपूर्ति हेतु आदेश प्रसारित किये जावेगें।

अतः उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपीलार्थीगण की अपील अस्वीकार की जाती है तथा जिला कलक्टर नागौर के आदेश क्रमांक एफ.12 ( )/राजस्व/2019/2128 दिनांक 12.07.2019 की क्रियान्विति बाबत चरागाह भूमि की क्षतिपूर्ति हेतु तत्काल आदेश प्रसारित किये जाने बाबत जिला कलक्टर नागौर को आदेश दिये जाते है। आदेश दिनांक 12.07.2019 चरागाह भूमि की क्षतिपूर्ति हेतु आदेश प्रसारित होने के उपरान्त ही प्रभावी माना जावेगा।

Scanned with CamScanner